

22/12/25

पत्रावली पेश की। उभय पक्ष अनुपस्थित /
न्यायालय द्वारा तीन बार आवाजे लगावटी गई।
फिर भी न तो उभय पक्ष व न ही उनके
वैधिक अधिकार उपस्थित रहे। फिर भी
न्यायालय में उभय पक्ष को कुचकरी का
अवकाश प्रदान किया जाता है। पत्रावली उभयपक्ष
दिनांक 13.1.26 को पेश है।

पत्रावली

13.1.26 पत्रावली पेश। उभय पक्ष अनुपस्थित। न्याया-
लय द्वारा बार-बार आवाजे लगावटी गयी फिर-
भी न तो उभयपक्ष और न ही उनके वैधिक अधिकार-
निधि उपस्थित आये। अतः पत्रावली अन्तर्गत 09
R3 सी.पी.सी. खारेज की जाती है।

पत्रावली में प्रकृत सुमार से नम्बर से कम
दस्तावेज प्रकृत हैं।

निर्वाह लिखा जाकर लरे इजलास सुभाषावली
13/1/26

अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा